आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, आगरा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार **उपनिरीक्षक गोपनीय अमित कुमार राजावत, पीएनओं–232661000** का गृह जनपद भिण्ड म0प्र0 है जो जनपद आगरा का सीमावर्ती जनपद है जिस कारण मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्याः डी0जी0–चार–स्था0(154)/2024/501 दिनांक 29.02.2024 द्वारा **उपनिरीक्षक गोपनीय अमित कुमार राजावत पीएनओं–232661000** (कमांक 42) को आरटीसी सीतापुर से जोन कार्यालय आगरा किया गया आवंटन निरस्त करते हुए अब इन्हे जनपद मथुरा आवंटित किया जाता है। इनका गृह जनपद भिण्ड, म0प्र0 है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के **कार्यवृत्त–सूची संख्याः–एएसपी–ई–उपनिरीक्षक(गोपनीय) आवंटन–178/2024 दिनांकः– 06–03–2024** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उक्त कर्मी को आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने पर ही आवंटित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि कर्मी आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आवंटित जनपद हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा।

उपनिरीक्षक (गोपनीय) को उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग नियमावली 2015 एवं यथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिनके द्वारा नियमानुसार परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही स्थाईकरण किया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि में सम्बन्धित कर्मी को आवंटित जनपद से अन्यत्र सामान्यतः स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

उक्त कर्मी आवंटित जनपद में अपनी आमद कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित जनपद से व्यवहारिक प्रशिक्षण मे प्रतिभाग करेगें।

6/3/24

(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक,स्थापना
निमित्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-178/2024/596 DT 06-03-2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः–डीजी–चार–स्था0–(178)/2024/596 **दिनांकः मार्च, 06 ,2024**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है यदि उक्त कर्मी आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने के उपरान्त जोन कार्यालय आगरा में आगमन/कार्यभार ग्रहण कर लिया हो तो उसे तत्काल आवंटित जनपद मथुरा हेतु कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।

2– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त कर्मी के आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने के उपरान्त ही जनपद मथुरा में आगमन कराने तथा उसके पश्चात निर्धारित व्यवहारिक प्रशिक्षण कराने का कष्ट करें।

3– पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कर्मी को आधारभूत प्रशिक्षण में सफल होने पर ही आवंटित जनपद/इकाई हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा। यदि उक्त कर्मी आधारभूत प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे आवंटित जनपद/इकाई हेतु तभी कार्यमुक्त किया जायेगा जब वह पूरक प्रशिक्षण में सफल होगा। असफल होने पर इस मुख्यालय को उक्त कर्मी के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा। उक्त अभ्यर्थी को तद्नुसार प्रस्थान कराते हुए इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा उक्त अभ्यर्थी के सेवा अभिलेख सम्बन्धित जनपद/इकाई को प्रेषित करने का कष्ट करें।

<u>संख्या तथा दिनांक वही</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0,लखनऊ।